न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:– उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 13 / 2023

1. चानणराम उर्फ बचनाराम पुत्र स्व0 श्री फत्ताराम, जाति जाट निवासी डबली बास पेमा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. छोटूराम पुत्र स्व0 श्री फत्ताराम जाति जाट निवासी डबली बास पेमा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

अपीलांट्स

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध खाता विभाजन के इंतकाल संख्या 408 आदेश दिनांक 15.01.2013 चक 15 जे. आर. के. तहसील हनुमानगढ़, तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, जिसकी रूह से अपीलाण्ट की चक 15 जे. आर. के. के खाता संख्या 22/19 तादादी 7.637 हैक्टेयर भूमि में से विभाजन में प्राप्त 4.242 हैक्टेयर में कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से अपीलाण्ट व उनके भाई राजू के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज की गई। बमुराद मन्सूखी उक्त आदेश एवं स्वीकार किये जाने अपील।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

उपस्थित:– 1. श्री भवानीसिंह निर्वाण, सुरेन्द्र सहारण अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

–:निर्णय:–

दिनांक: – 30.07.2024

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट व अपीलाण्ट के भाई राजू की अन्य सहखातेदारों के साथ संयुक्त खाता में चक 15 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 22/19 के पत्थर नंबर 61 / 248 (53) के किला नंबर 7 से 14, 17 से 24 व पत्थर नंबर 60 / 248 (54) के किला नंबर 2, 7 से 9, 12 से 19, 22 से 25 कुल 7.637 हैक्टेयर नहरी व अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। राजस्व अभियान "प्रशासन गांवों के संग अभियान–2013" में अपीलाण्ट व सहखातेदारों द्वारा अपनी उक्त वर्णित संयुक्त खाता की 7.637 हैक्टेयर कृषि भूमि का परस्पर आपसी सहमति के आधार पर विभाजन किये जाने हेतु अन्तर्गत धारा 48 / 53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत आवेदन पत्र रेस्पोडेंट के समक्ष गांवों के संग अभियान ग्राम पंचायत डबली बास पेमा में प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन में अपीलाण्ट व अपीलाण्ट के भाई राजू ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपीलाण्ट के नाम 3.393 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर व राजू के नाम दर्ज 0.849 हैक्टेयर का खाता विभाजन किये जाने की सहमति दी थी। प्रशासन गांवों के संग अभियान में रेस्पोडेंट द्वारा उक्त वर्णित संयुक्त खाता की 7.637 हैक्टेयर कृषि भूमि का दिनांक 15.01.2013 को सहमति के आधार पर खाता विभाजन किया गया तथा इस खाता विभाजन के आदेश की पा[illegible] दिनांक 15.01.2013 दर्ज हुआ लेकिन इस इंतकाल के जरिये उक्त वर्णित 7.637 है[illegible] में से अपीलाण्ट व उनके भाई राजू के नाम पत्थर नंबर 61 / 24[illegible] 19, 20, 21/0.164, 22 / 0.164, पत्थर नंबर 60 / 248 (54) किला [illegible] 24/0.164, 25 / 0.164 कुल 4.242 हैक्टेयर तीनो के नाम बहिस्सा बराबर [illegible] कर दी गई जबकि उक्त वर्णित 4.242 हैक्टेयर में से आदेशानुसार अपीलाण्ट बहि[illegible] बराबर 3.393 हैक्टेयर व अपीलाण्ट का भाई राजू 0.849 हैक्टेयर का हिस्सेदार है। लेकिन रेस्पोडेंट द्वारा अपीलाधीन इंतकाल के जरिये नामान्तरण दर्ज करते समय अपीलाण्ट की हिस्साकसी गलत दर्ज कर दी गई जो इसी अनुसार आगामी जमाबंदियों में दर्ज चली आ रही है। माह जुलाई 2023 में अपीलाण्ट को अपनी कृषि भूमि पर ऋण सुविधा बढाने हेतु जमाबंदी की आवश्यकता पड़ी तो अपीलाण्ट ने वर्तमान जमाबंदी की नकल प्राप्त की तब अपीलाण्ट को जमाबंदी का अवलोकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.08.05 15:48:45 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

करने पर ज्ञात हुआ कि उनकी उक्त वर्णित 4.242 हैक्टेयर भूमि अपीलाण्ट व उनके [illegible] के नाम प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा के रूप में दर्ज हो गई जबकि उक्त वर्णित 4.242 हैक्टेयर में अपीलाण्ट बहिस्सा बराबर 3.393 हैक्टेयर व अपीलाण्ट का भाई राजू 0.849 हैक्टेयर का खातेदार है जबकि उक्त गलत प्रविष्टि के कारण अपीलाण्ट के साम्पतिक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। अपीलाण्ट ने अविलम्ब ही दिनांक 03.07.2023 को उक्त आदेश के आधार पर नामान्तरण संख्या 408 की नकल प्राप्त कर अविलम्ब उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलाण्ट इंतकाल संख्या 408 दिनांक 15.01.2023 से व्यथित है तथा उक्त इंतकाल संख्या 408 दिनांक 15.01.2023 को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती देते है:–

अपीलाधीन इंतकाल संख्या 408 दिनांक 15.01.2023 कतई गलत, अनुचित व मनमाना एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है तथा इस नामान्तरण आदेश में अपीलाण्ट की हिस्साकरी की प्रविष्टि गलत दर्ज हुई है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है तथा इस कारण नामान्तरण संख्या 408 दिनांक 15.01.2023 अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट अपनी कृषि भूमि चक 15 जेआरके तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नंबर 61 / 248 (53) के किला नंबर 9 ता 12, 19, 20, 21 / 0.164, 22/0.164, पत्थर नंबर 60/248 (54) किला नंबर 6 ता 8, 13 ता 17, 18/0.044, 24/0.164, 25/0.164 कुल 4.242 हैक्टेयर में बहिस्सा बराबर 3.393 हैक्टेयर व अपीलाण्ट का भाई राजू 0.849 हैक्टेयर का खातेदार है तथा समस्त सहखातेदारों की सहमति के आधार पर ही उक्त आदेश पारित किया गया था लेकिन उक्त आदेश के आधार पर प्रश्नगत इंतकाल में अपीलाण्ट व अपीलाण्ट के भाई राजू के नाम की हिस्साकरसी की प्रविष्टि गलत दर्ज हुई, जिसके कारण अपीलाण्ट के साम्पतिक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, इस कारण भी अपीलाधीन इंतकाल आदेश अपास्त होने योग्य है। पूर्व में उक्त कृषि भूमि चक 15 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 22 / 19 के पत्थर नंबर 61 / 248 (53) के 1272 छोटू राम किला नंबर 7 से 14, 17 से 24 व पत्थर नंबर 60 / 248 (54) के किला नंबर 2, 7 से 9, 12 से 19, 22 से 25 कुल 7.637 हैक्टेयर नहरी व अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन से अपीलाण्ट व राजू बहिस्सा बराबर 2.545 हैक्टेयर व अपीलाण्ट बहिस्सा बराबर 1.697 हैक्टेयर दर्ज थी व दिनांक 15.01.2013 को रेस्पोडेंट द्वारा इसी सहमति के आधार पर आदेश पारित किया गया था लेकिन अपीलाधीन इंतकाल संख्या 408 दर्ज करते समय रेस्पोडेंट ने कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से अपीलाण्ट को खाता विभाजन में प्राप्त 4.242 हैक्टेयर में अपीलाण्ट व उनके भाई राजू की बहिस्सा बराबर दर्ज कर दी। इस कारण भी अपीलाधीन इंतकाल संख्या 408 दिनांक 15.01.2013 अपास्त होने योग्य है। माह जुलाई 2023 में अपीलाण्ट को अपनी कृषि भूमि पर ऋण सुविधा बढाने हेतु जमाबंदी की आवश्यकता पड़ी तो अपीलाण्ट ने वर्तमान जमाबंदी की नकल प्राप्त की तब अपीलाण्ट को जमाबंदी का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उनकी उक्त वर्णित 4.242 हैक्टेयर भूमि अपीलाण्ट व उनके भाई राजू के नाम प्रत्येक 1 / 3–1 / 3 हिस्सा के रूप में अपीलाधीन इंतकाल संख्या 408 दिनांक 15.01.2013 के जरिये कतई गलत व त्रुटिवश दर्ज हो गई जबकि उक्त वर्णित 4.242 हैक्टेयर में अपीलाण्ट बहिस्सा बराबर 3.393 हैक्टेयर व अपीलाण्ट का भाई राजू 0.849 हैक्टेयर का खातेदार है। अपीलाण्ट ने इसके पश्चात अपीलाधीन इंतकाल आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि हासिल कर आज बिना किसी देरी के माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा रही है। देरी माफी हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावें तथा अपीलाधीन इंतकाल संख्या 408 दिनांक 15.01.2023 अपास्त फरमाया जावे तथा इंतकाल संख्या 408 दिनांक 15.01.2023 में अपीलाण्ट को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि चक 15 जेआरके [illegible] नंबर 61/248 (53) के किला नबर 9 ता 12, 19, 20, 21 / 0.164, 22/0.164, [illegible] 60 / 248 (54) किला नबर 6 ता 8, 13 ता 17, 18/0.044, 24/0.16[illegible] में अपीलाण्ट बहिस्सा बराबर 3.393 हैक्टेयर व राजू 0.849 है[illegible] आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.08.05 15:48:45 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट क[illegible] तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थिति दी।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन इंतकाल संख्या 408 दिनांक 15.01.2023 अपास्त फरमाया जाकर इंतकाल संख्या 408 दिनांक 15.01

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

023 में अपीलाण्ट को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि चक 15 जेआरके तहसील हनुमानगढ के त्थर नंबर 61 / 248 (53) के किला नंबर 9 ता 12, 19, 20, 21 / 0.164, 22 / 0.164, त्थर नंबर 60 / 248 (54) किला नंबर 6 ता 8, 13 ता 17, 18 / 0.044, 24 / 0.164, 25 / .164 कुल 4.242 हैक्टेयर में अपीलाण्ट बहिस्सा बराबर 3.393 हैक्टेयर व राजू 0.849 हैक्टेयर र्ज किये जाने का रेस्पोडेंट को आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ द्वारा नामान्तरण दर्ज किया गया है, जो विधि अनुसार है इसलिए अपील अपीलांट ख़ारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें चुनौतीधीन निर्णय व आदेश की जानकारी जुलाई 2023 में अपीलांट को कृषि भूमि पर ऋण सुविधा बढाने हेतु जमाबंदी की आवश्यकता पड़ने पर जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ की अपीलाधीन ईन्तकाल गलत व त्रुटिवश दर्ज हुआ है। अपीलांट ने उसके पश्चात अपीलाधीन ईन्तकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि हासिल कर बिना देरी के दिनांक 11.07.2023 को अपील प्रस्तुत की। अपीलांट ने विलंब का कारण तथा इसके संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। न्यायहित में अपीलांट का दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है।

पत्रावली अवलोकन करने व उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करने के पश्चात पाया कि:–

1. प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 48/53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1953 पर तहसीलदार (भू0अ0) हनुमानगढ द्वारा के खाता विनियम/विभाजन निर्णय कमांक भू0अ0/2013/11 दिनांक 15.01.2013 कैम्प ग्राम पंचायत डबलीपेमा के अनुसार चानणराम, छोटूराम, राजू पि0 फताराम बहिस्सा 2.545 है0 तथा बचन, छोटू पि0 फताराम 1.697 है0 बहिस्सा दर्ज है।
2. उक्त खाता विनियम/विभाजन निर्णय की पालना में तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ द्वारा नामांतरण सं0 408 दिनांक 15.01.2013 द्वारा अपीलांट चानणराम उर्फ बचनाराम, छोटूराम व राजू पि0 फताराम की हिस्साकसी गलत दर्ज कर दी गयी है। अपीलांट चानणराम उर्फ बचनाराम, छोटूराम व राजू की बहिस्सा बराबर दर्ज कर दी गयी है।

अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ के इंतकाल संख्या 408 दिनांक 15.01.2023 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनकर राजस्व रिकार्ड के अनुसार विधि सम्मत निर्णय व नामान्तरण की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ (राज0)

30-1 30/7/2024

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.08.05 15:48:45 IST
Reason: SelfAttested